

स्पीड पोस्ट
एवं ई-मेल



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. SM/1/2018/STGBH/SEFCC/RU-III

दिनांक: 22.05.2019

सिटिंग नोटिस

विषय: फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से नंकरी हासिल करने के संबंध में – श्री सनोज कुमार, ग्राम मठिहान, पोस्ट मठिहान, थाना दरियापुर, जिला छपरा सारण (बिहार) का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिकेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शावितर्यों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकल्पों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुर्खी अनुसूचित उइकै, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण के अन्वयण, जाच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली सिंह आयोग में दिनांक 18-06-2019 को 12.30 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, अपने अगुरेब है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त उपाध्यक्ष से अनुसूचित शावितर्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ उद्दित पत्र रूप से माननीय उपाध्यक्ष के जमक्ष दरीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के जमक्ष आपकी उपस्थिति का बाल्यकारी बनाने के लिए अयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (3) के अधीन प्रदत्त लियिल न्यायालंब के शावितर्यों का प्रपोग करने के लिए स्वराक्र होगा।

श्री. सनोज कुमार
दूरभाष - 24616012

सेवा में,

1. निदेशक,
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान,
दिल्ली-मथुरा रोड, पी.ओ. सीआरआरआई,
नई दिल्ली - 110025

2. जिला कलेक्टर,
जिला - छपरा सारण,
बिहार

प्रतिलिपि प्रष्ठिः

श्री सनोज कुमार, ग्राम
मठिहान, पोस्ट मठिहान,
थाना दरियापुर, जिला छपरा (सारण),
(बिहार)

4210-72
23/5/19